न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 23/2016 RCMS No.—2016/00022

1. बद्रीनाथ पुत्र चौगान नाथ, जाति जोगी, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. हरीओम पुत्र श्री ब्रदीनाथ, जाति जोगी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

...अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जयपुर राजस्थान।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 16.10.2009 जिसके द्वारा खसरा नंबर 6/1 का नामान्तकरण संख्या 1061 जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्वीकृत किया गया जो अवैध, अवैधानिक एवं शून्य होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

———————

निर्णय दिनांकः 04.10.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 14.10.2014 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1061 ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 6/1 का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट नं 2 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.04.2016 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2009 नामान्तकरण संख्या 1061 विधि विधान एवं पत्रावली

तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नम्बर 6 की बटा नंबर 3132/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 3132/2 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 3132/3 में रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 3133 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नायला स्थित भूमि पर अपीलांट्स अपने पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त है। उक्त कृषि भूमि संवत 2013 से संवत् 2016 में ठिकाना जागीरदार के नाम दर्ज हुई एवं संवत् 2017 में सिवाय चक दर्ज हुई। अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वज तभी से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त है। अपीलांट्स के पिता चौगान पुत्र श्योनाथ ने तत्कालीन तहसीलदार को अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि को रेगुलराईज्ड करने का प्रार्थना पत्र दिया लेकिन बिना किसी सुनवाई के एवं बिना किसी आदेश के उक्त सिवायचक भूमि को चारागाह में दर्ज कर दिया। अपीलांट्स का अपीलाधीन आराजी पर संवत 2039 से संवत 2064 से लगातार कब्जा चला आ रहा है, जिसके संदर्भ में खसरा परिवर्तन की प्रमाणित प्रतिया पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलांट को बिना किसी नोटिस एवं सूचना के आदेश भू अभिलेख09/4446–47 दिनांक 08.11.2009 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 1061 की अपीलाधीन भूमि का जेडीए के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो अवैधानिक है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 14.10.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 08.10.2009 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलांट यदि वादग्रस्त आराजी में अपना किसी प्रकार का हक, अधिकार मानते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या दो. की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश के अनुसार स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपील अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त

विवादित भूमि पर अपीलांट का अधिकार स्पष्ट हो। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1061 ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार के आदेश भू.अ./09/4446–47 दिनांक 08.10.2009 की पालना में रेस्पा0 संख्या 2 के हक में तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन आराजी की किस्म चारागाह है जो जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 54 के तहत राजकीय भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, जिसके तहत अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा प्रश्नागत भूमि पर कब्जा काश्त पिता एवं स्वयं का होने के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तन शील की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई। जो कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मात्र होना साबित करता है। इस भूमि पर इस आधार पर अपीलांट का हक साबित नही होता है। न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिशिचित नही किया जा सकता है। और ना ही इस बाबत क्षैत्राधिकार न्यायालय में निहित है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई आधार प्रमाणित नही होता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.18 13:53:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: